UPBS120004262021

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 340/2021

प्रहलाद सिंह बनाम कौशलेन्द्र सिंह आदि

10.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा विवादित मकान अक्षरान य,र,स,ल प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र स्थित आराजी सं० 197 तथा सहन प्रदर्शित अक्षरान र,त,थ,स के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 10 ग 1 द्वारा नकल खतौनी कागज सं० 11 ग 1/1 लगायत 11 ग 1/5, नकल खसरा कागज सं० 12 ग 1, नकल राजस्व मानचित्र कागज सं० 13 ग 1 दाखिल किया गया है। पक्षकार एक ही वंशवृक्ष के सदस्य हैं। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 दिनांक–25.08.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8 ग 2

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 8 ग 2 विवादित भूमि का नक्शा एवं आख्या जरिए अदालत अमीन मंगवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद के निस्तारण में अमीन रिपोर्ट व नक्शा सहायक होगा। अतः प्रार्थनापत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है। अदालत अमीन को परवाना जारी हो। वादी पैरवी करे।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।